ई–निविदा सूचना अमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत चारबाग बस स्टेशन पर पूर्व से संचालित स्थान पर संचालित अस्थायी जलपानगृह स्टाल, जिसका आरक्षित मूल्य रू0 89,965/– (रू0 नवासी हजार नौ सौ पैसठ मात्र) प्रतिमाह है, जिस पर विद्युत शुल्क अन्य कर इत्यादि अतिरिक्त देय होगा, की ई–नीलामी निगम मुख्यालय द्वारा जारी कैण्टीन स्टाल सम्बन्धी नवीन नियमावली नवम्बर, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई–नीलामी 02 बिड प्रणाली तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के माध्यम से सम्पन्न होगी, जिसके लिये आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त जलपानगृह स्टाल को पुनः ई–टेण्डर के माध्यम से अनुबन्ध अनुसार संचालित कराये जाने हेतु www.e-tender.up.nic.in पर दिनांक 04-01-22 को समय 15:00 बजे से दिनांक 21.01.22 को समय 18:00 बजे तक निविदायें अपलोड की जायेगी। दिनांक 22.01.22 दिन शनिवार को समय 15:00 बजे ई–निविदा खोले जाने की कार्यवाही कर्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ पर की जायेगी। इस हेतु ई–निविदा के साथ निगम मुख्यालय द्वारा संशोधित नियमावली नवम्बर, 2020 के प्राविधान अनुसार आर्नेस्ट मनी उपरोक्त जलपानगृह स्टाल की मासिक लाइसेंन्स शुल्क रू0 89,965/– (रू0 नवासी हजार नौ सौ पैसठ मात्र) के 03 गुना के समतुल्य का बैंक ड्राफ्ट "क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र या R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बनवाकर मूल रूप में प्रस्तुत (तकनीकी बिड में) किया जायेगा।

कैण्टीन स्टाल संचालन हेतु इच्छुक आवेदक परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com से तथा ई–टेण्डर की साइट www.e-tender.up.nic.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र) जी0एस0टी0 रू0 90.00 अतिरिक्त कुल धनराशि रू0 590.00 (रू0 पॉच सौ नब्बे मात्र) का आवेदन शुक्ल का बैंक ड्राफ्ट "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बनवाकर निविदा प्रारूप/आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में प्रस्तुत (तकनीकी बिड में) किया जायेगा।

कैण्टीन/स्टाल स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। स्वीकृत कैण्टीन/स्टाल पर जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर इत्यादि नियमानुसार प्रभावी होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

टेण्डर के माध्यम से (वित्तीय बिड में) **"सर्वोच्च लाईसेंस शुल्क की दर"** देने वाले ठेकेदार दिनांक 22.01.22 को समय 14.00 बजे तक टेण्डर प्रस्ताव सील्ड लिफाफे में, लिफाफे के ऊपर बस स्टेशन का नाम, स्टाल का नाम तथा अपना नाम व पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित करते हुये, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ को प्राप्त करायेंगे, जिसके लिये आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. स्टाल के संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी तथा स्टाल के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि संचालक द्वारा स्वयंमेव की जाती रहेगी।
2. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा ऑन लाइन के माध्यम से सम्बन्धित बेवसाइट पर उपलोड करायी जायेंगी, जिसमें केवल तकनीकी बिड का लिफाफा अपने दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय बिड का लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अपलोड करायी गयी निविदा के साथ बी0ओ0यू0 में प्रतिमाह की सर्वोच्च दर अंकित करते हुये अपलोड करायी जायेगी। तकनीकी बिड के लिफाफे में अपना नाम, पता, मो0नं0 एवं स्टाल का नाम व स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। उपयुक्त तकनीकी बिडों की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
3. स्टॉल की नीलामी का निस्तारण निविदा की औपचारिकताए पूर्ण करने पर प्राप्त उच्चतम दरों के आधार पर किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता को समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने तथा अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर स्टाल संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
5. प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न किया गया अर्नेस्ट मनी का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित निविदादाताओं को वापस किया जायेगा।
6. ई–टेण्डर में प्राप्त सम्बन्धित बिड खोलने के उपरान्त क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा कैण्टीन/स्टाल से सम्बन्धित सूचना स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी, निगम मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

Downloaded From www.upsrtc.com

7. ई– निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम प्रबन्धन में निहित होगा।
8. स्टाल हेतु अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क के चयनित निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न कराये जाने की स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा स्टाल की अर्नेस्ट मनी हेतु आरक्षित मूल्य का तीन गुने का बैंक ड्राफ्ट "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow" के पक्ष में बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी मासिक लाइसेंस शुल्क की 03 गुना धनराशि R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की देय धनाशि में समायोजित किया जायेगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी का बैंक डफ्ट जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
11. अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर नियमानुसार प्रतिभूति धनराशि वापस की कार्यवाही की जायेगी।
12. यदि चयनित निविदादाता/स्टाल संचालक द्वारा अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही बीच में ही स्टाल छोड़कर/बंद चला जाता है/कर देता है तो प्रतिभूति जब्त कर जी जायेगी परन्तु यदि स्टाल संचालक अनुबन्ध में निर्धारित 03 माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली/बंद करता है तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति मे से समायोजित करते हुये शेष धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
13. निगम एवं स्टाल संचालक दोनो के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित रहेगा।
14. चयनित निविदादाता/स्टाल संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपना लाइसेंस शुल्क जमा कराया जायेगा अन्यथा 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 11वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस शुल्क का 1/20वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा कराना होगा।
15. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुबन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख को स्वमेव समाप्त हुआ मानते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
16. स्टाल में विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु/सेवा को एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जायेगा। मूल्य सूची का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से स्टाल में लगाया जायेगा।
17. निगम परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाल संचालक के विरूद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये अनुबन्ध निरस्त किये जाने, प्रतिभूति जब्त किये जाने एवं स्टाल संचालक को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
18. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
19. स्टाल का अनुबन्ध वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी लाइसेंस शुल्क के चार प्रतिशत मूल्य के आगणित धनराशि के स्टैम्प पेपर पर ही तीन वर्षो के लिये किया जायेगा।
20. पी0पी0पी0 से आच्छादित बस स्टेशन के सम्बन्ध में नियमावली, 2020 के अध्याय 04 में की गयी व्यवस्था पीपीपी योजना के अन्तर्गत स्टाल की नियमित अवधि तीन वर्ष अथवा डेवलपर को बस स्टेशन हस्तान्तरित करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक स्टाल संचालित किया जा सकेगा।
21. कैण्टीन/स्टाल का संचालन निर्धारित स्थान पर ही कराना होगा, जो जहॉ भी जैसा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर संचालित कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
22. उक्त ई–टेण्डर विज्ञप्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

<u>तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्ते निम्नवत् है:–</u>

A. जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची (Black List) में है, वे निविदा डालने के लिये अर्ह नहीं होगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा काली सूची (Black List) में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र **मूल रूप में** अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
B. ई–निविदा आवेदन के शुल्क हेतु रू0 590.00 का बैंक ड्राफ्ट **मूल रूप में** तकनीकी बिड में रखी जायेगी।

Downloaded From www.upsrtc.com

C. आधार कार्ड की **स्वयं सत्यापित प्रति** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

D. पैन कार्ड की **स्वयं सत्यापित प्रति** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

E. आरक्षित दर के तीन गुना का आर्नेस्ट मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट **मूल रूप में** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

F. सफल निविदादाता द्वारा, कर्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनुबन्ध निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, **उक्त आशय का लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न किया जायेगा।** जिन निविदादाता को जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हो उसकी स्वयं सत्यापित प्रति अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है। अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में आर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट ज़ब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

G. निविदा प्रपत्र/आवेदन प्रारूप तथा तकनीकी बिड के प्रारूप को विधिवत् भरने वाले निविदादाताओं की ही निविदा स्वीकार की जायेगी, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट भरे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

H. तकनीकी बिड के लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड, अपना नाम, पता, मो0नं0 तथा स्टाल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

वित्तीय बिड का लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये टेण्डर की साइट www.e-tender.up.nic.in पर अपलोड बी0ओ0यू0 में ही आरक्षित मूल्य से अधिक की दर (मय सभी टैक्सों के) अंकित की जायेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र

पत्र संख्याः 17695 **ल0क्षे0/क्षे0प्र0/नीलामी विज्ञप्ति लखनऊ–2/2021** **दिनांक** 29**-–12–2021**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें:–

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/वाणिज्य विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– प्रधान प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
7– सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
8– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा बस स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
9– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
10– कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र एवं नोटिस बोर्ड।
11– tender@upsrtc.com / https//:etender.up,nic.in

29/12/21

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

Downloaded From www.upsrtc.com

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

मूल्य 500.00 रूपये
रसीद संख्या
....

निविदा प्रपत्र का प्रारूप

निविदा जारी करने का दिनांकः.................................

1. निविदा का विवरणः–
   - क्षेत्र का नाम :– ....
   - जिला/शहर :– ....
   - बस स्टेशन का नाम :– ....
   - स्टॉल का नाम :– ....

2. नव सृजित स्टाल की अर्नेस्ट मनी रू0 50,000/– है।

Downloaded From
www.upsrtc.com

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

नोटः– एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है तो जमा अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार अपर प्रबन्ध निदेशक को होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

स्व–प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज फोटो

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

उ0प्र0रा0स0प0नि0 क्रम संख्या....................

तकनीकी बिड का प्रारूप

क्र0सं0	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के लिए अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। **निविदादाता को नोटराइज्ड शपथ पत्र द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।**	
2	टेण्डर फार्म रु. 500/– जी.एस.टी. अतिरिक्त के भुगतान की रसीद की छायाप्रति अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में। बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित करें।	
3	आधार कार्ड संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)।	
4	पैन कार्ड संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)।	
5	निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम देय होगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। निविदा अस्वीकृति की दशा में अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट की संख्या, धनराशि, तिथि तथा बैंक का विवरण भी अंकित किया जायें	
6	**नवसृजित स्टाल** की अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) रू0 50,000/– रहेगी।	

नाम	
हस्ताक्षर	
पता	
मोबाइल नम्बर	

Downloaded From www.upsrtc.com